

FIRE SAFETY CERTIFICATENo.: NPB/2023-24/FIRE/15Dated: 05.06.2023

Certified that the KANHA PUBLIC SCHOOL (name of the building or premises) at 3-MILESTONE FROM KOTKASIM ON KOTKASIM-REWARI ROAD, ALWAR, RAJASTHAN (address) comprised of ONE (1) basement(s) and THREE (3) (upper floors) owned/ occupied by KANHA PUBLIC SCHOOL, KOTKASIM, ALWAR, RAJASTHAN (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of OFFICE OF FIRE STATION, NAGAR PARISHAD BHIWADI Fire Service on 01.06.2023 (date of inspection) in the presence of MRS. ANITA DEVI, KANHA PUBLIC SCHOOL (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for running school with effect from 05.06.2023 to 04.06.2024 for a period of ONE (1) year in accordance with rule.

Issued on 05.06.2023 (Date of issue) at BHIWADI RAJASTHAN (place) by ASSISTANT OFFICER FIRE STATION.

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: 
 Name : सहायक अग्निशमन अधिकारी
 Designation : नगर परिषद, भिवाड़ी
 Name & Address of Department/ Office:

TO,
MRS. ANITA DEVI,
MANAGER
KANHA PUBLIC SCHOOL,
KOTKASIM, ALWAR
RAJASTHAN 301702



Principal
 Kanha Public School
 Kotkasim



Manager
 Kanha Public School
 Kotkasim (Alwar)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी

नगर परिषद भिवाड़ी (अलवर)

क्रमांक: न.प.भि / 2023-24 / FIRE / 15

दिनांक: 05.06.2023

अग्निशमन प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि M/S KANHA PUBLIC SCHOOL, 3RD MILESTONE KOTKASIM-REWARI ROAD, NEAR JAKOPUR MOD, KOTKASIM, DISTT-ALWAR, RAJASTHAN का मौका निरीक्षण दिनांक 01.06.2023 को किया गया। जिसमें निर्धारित स्थानों पर फायर सिस्टम लगे हुये एवं सही अवस्था/कार्यरत अवस्था में पाये गये। अतः निम्न शर्तों की पालना के निर्देश देते हुये अग्निशमन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

1. किसी भी प्रकार की आतिशबाजी उक्त स्थल के अन्दर न की जायें।
2. किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए स्वयं संस्थापक जिम्मेदार होगा ना की जिला प्रशासन अलवर/नगर परिषद भिवाड़ी प्रशासन होगा।
3. अग्निशमन प्रमाण पत्र को किसी भी प्रकार का स्वामित्व दस्तावेज नहीं माना जावे एवं प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक 6 माह में फायर एक्सपर्ट mock ड्रिल करवाना अनिवार्य है जिसकी सूचना नगर परिषद भिवाड़ी को उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है एवं mock ड्रिल के नगर परिषद भिवाड़ी के अधिकारी का खर्चा आपके द्वारा वहन किया जावेगा।
5. 6 माह में हाइड्रेंट सिस्टम लगाना सुनिश्चित करें। नेशनल बिल्डिंग कोड सभी फायर सिस्टम का संधारण करें।
6. किसी प्रकार का नगर परिषद भिवाड़ी कर बकाया होने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
7. समय-समय पर अग्निशमन यंत्र का रख-रखाव किया जायेगा।
8. किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री भवन या परिसर में नहीं रखी जावेगी।
9. किसी भी प्रकार की लूज विद्युत फिटिंग नहीं होनी चाहिए।
10. आपके स्थाई कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों को चलाने का प्रशिक्षण आपके स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
11. अग्निशमन यंत्रों के रख-रखाव में कमी एवं औचक निरीक्षण के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कमी पाई गई तो अग्निशमन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
12. समय-समय पर नेशनल बिल्डिंग कोड में होने वाले संशोधनों की भी पालना करनी होगी।
13. फायर NOC की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व नवीनीकरण के लिये आवेदन करना होगा अन्यथा 5000 रुपये पेनल्टी के तौर पर देय होंगे।
14. यह प्रमाण-पत्र दिनांक 05.06.2023 से 04.06.2024 तक मान्य होगा।

सहायक अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन केन्द्र
नगर परिषद, भिवाड़ी
नगर परिषद भिवाड़ी



Principal
Kanha Public School
Kotkasim



Manager
Kanha Public School
Kotkasim (Alwar)